## उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952}

# THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1952 [U.P. Act No. 33 of 1952]

## उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952<sup>1</sup> [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952] द्वारा संशोधित

उ०प्र० अधिनियम संख्या 27,1957 उ०प्र० अधिनियम संख्या 12,1959 उ०प्र० अधिनियम संख्या 2,1971 उ०प्र० अधिनियम संख्या 10,1972 उ०प्र० अधिनियम संख्या 8.1975<sup>3</sup>

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 16 अक्टूबर, 1952 ई0 की बैठक मे स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्याल ने दिनांक 1 दिसम्बर, 1952 ई0 की स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 4 दिसम्बर, 1952 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में एनर्जी (विद्युत शक्ति) के उपभोग (कंजम्पशन) पर ड्यटी (शुल्क) लगाने के लिये

### अधिनियम

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एनर्जी (विद्युत शक्ति) के उपभोग पर ड्यूटी (शुल्क) लगाई जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया है :-

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

- (2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह उस दिनांक<sup>2</sup> से प्रचलित होगा, जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।
  - 2-- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :--

परिभाषाएं

- (क) {'नियुक्त प्राधिकारी''}⁴ का तात्पर्य –
- (1) उस इलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग की दशा में, जो उसी एनर्जी {को सम्भारित करने} के कार्य में प्रवृत्त हो, जिसका स्वामी राज्य सरकार हो या जिसका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (अथॉरिटी) से है, जिसे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार नियुक्त करे, तथा
- (2) उस इलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग की दशा में, जो ऐसी एनर्जी {को सम्भारित करने} के कार्य में प्रवृत्त हों, जिसका स्वामी केन्द्रीय सरकार या बोर्ड हो या जिसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किया जाता हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (अथारिटी) से हैं, जिसे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड की सहमित से, जैसी भी दशा हो, नियुक्त करे।
- 1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये 1 सितम्बर, 1952 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
- यह अधिनियम दिनांक 3 जनवरी, 1953 के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 4389–EL/XXIII– 319
   ELD –52 के द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 1953 से लागू हुआ।
- अधिनियम सं0 1975 द्वारा किये गये संशोधन 12 अक्टूबर, 1974 से प्रवृत्त हुए।
- 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या २६ वर्ष १९९९ की धारा २(एक)(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 2(एक)(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसटी (ड्यटी) अधिनियम, 1952)

(धारा 2)

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये सरकार का वह विभाग, जो एनर्जी (विद्युत शक्ति) को सम्भारित करने} में प्रवृत्त हों, उक्त प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग (विद्युत व्यवसाय) है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 के अध्याय 3 (Chapter III) के अन्तर्गत संघटित बोर्ड से है;

1948 की ऐक्ट संख्या 54

(ग) ''केन्द्रीय सरकार'' का वही अर्थ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरल का जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1897 में किया गया है; 1897 की ऐक्ट संख्या 10

- (घ) ''उपभोक्ता (कंज्यूमर)'' का तात्पर्य लाइसेसी से भिन्न उस व्यक्ति से है, जिसे निम्नलिखित द्वारा (विद्युत शक्ति) दी जाती (सप्लाई) होंः —
  - (1) कोई लाइसेंसी;
  - (2) कोई बोर्ड; अथवा
  - (3) राज्य सरकार (स्टेट गवर्नमेंट) या केन्द्रीय सरकार (सेंट्रल गवर्नमेंट);
  - (ङ) "एनर्जी" का तात्पर्य इलेक्ट्रिसटी एनर्जी (विद्युत शक्ति) से हैं;
- (च) "लाइसेंसीं" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे एनर्जी (विद्युत शक्ति) {के सम्भरण} का लाइसेंस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 के भाग 2 (part II) के अधीन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसे उक्त ऐक्ट की धारा 28 के अधीन इस संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हों ;

1910 की ऐक्ट संख्या 9

- (छ) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा नियत से हैं:
- (ज) ''लगाई गई दर'' के अन्तर्गत किसी मीटर अथवा सर्विस लाईन का किराया नहीं है; किन्तु निम्नलिखित उसके अन्तर्गत हैं :-
  - (1) जब किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने के लिये छूट,
  - (2)  $\{****\}^1$
  - (3) टू पार्ट टैरिफ की दशा में निश्चित मूल्य (फिवस्ड चार्जेज) तथा इकाई मूल्य (यूनिट चार्ज) भी ;
  - (4) उस प्रकार {कं सम्भरण} की दशा में जहां मीटर न लगा हो, समय–समय पर उसके लिये लगाया गया मूल्य (Periodical charge made therefor) ; और
  - (5) दरों पर कोई अधिभार (सरचार्ज), जो लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया हों।

स्पष्टीकरण — "इकाई मूल्य (यूनिट चार्ज)" का तात्पर्य खण्ड (3) में वास्तव में उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) के लिये दिये जाने वाले मूल्य से है ;

- (झ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (ञ) उन शब्दों तथा पदाविलयों का, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गयी है किन्तु जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 में परिभाषा है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

1910 की ऐक्ट संख्या

<sup>1.</sup> उ०प्र अधिनियम सं० २,1971 की धारा २ द्वारा निकाल दिया गया है।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या २६ वर्ष १९९९ की धारा २(एक)(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 2 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 2 (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसटी (ड्यटी) अधिनियम, 1952]

धारा 3

[3-- (1) आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए :-

इलेक्ट्रिसटी ड्यटी का लगाया जाना

- (क) किसी लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी एनर्जी; या
- (ख) किसी लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक आवासिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले भू—गृहादि में, अथवा किसी अन्य भू—गृहादि में, अपने वर्क्स के निर्माण बनाये रखने या चलाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपभुक्त एनर्जी; या
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत जनन के अपने स्त्रोत से उपभुक्त एनर्जी, पर एक डयूटी (जिसे आगे "इलेक्ट्रिसटी डयूटी" कहा गया है) लगायी जायगी और जिसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा और जो ऐसी दर या दरों पर निर्धारित की जायगी, जिसे राज्य सरकार, समय—समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और ऐसी दर या तो चार्ज की दर के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में या प्रति यूनिट निर्दिष्ट धनराशि के रूप में निश्चित की जा सकती है:

्प्रितिबन्ध यह है कि 1 अक्टूबर, 1984 के पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1985 के पूर्व जारी की गई ऐसी अधिसूचना को ऐसे पूर्ववर्ती दिनांक को या, से, जो 1 अक्टूबर, 1984 के पूर्व न हो, प्रभावी बनाया जा सकता है। $^2$ 

(2) उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के संबंध में, इलेक्ट्रिसिटी डयूटी चार्ज की दर के {पचास प्रतिशत} में से अधिक न होगी :

[िकन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वन पार्ट टैरिफ की दशा में जहां कि भारित दर उपभोग के यूनिट पर आधारित हों, वहां इलेक्ट्रिसिटी डयूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या प्रति यूनिट [नौ पैसे] से अधिक न होगी।] 1

स्पष्टीकरण — उपर्युक्त इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये, लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा उपुक्त अथवा उसके या अपने भागीदारों, निदेशकों, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर संभरित एनर्जी, यथास्थिति, लाइसेंसों या बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को, उसी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में लागू दरों पर बेची गयी एनर्जी समझी जायगी।

- (3) उपधारा (1) के खंड (ग) के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या छः पैंसे से अधिक न होगी।
- (4) राज्य सरकार, लोक हित में, किसी क्षेत्र में एनर्जी के सम्मरण के लिये वर्तमान मूल्यों को, किसी संयत्र की विद्युत जनन क्षमता को औद्योगिक उत्पादन की सामान्यतया अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता हो और किसी अन्य सुंसगत बात को ध्यान में रखते हुए, या तो एनर्जी के विभिन्न वर्गों के उपभोग के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है।
  - (5) निम्नलिखित पर कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जायगी :--
  - (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा केन्द्रीय सरकार उपभोग किये जाने के लिये उस सरकार को बेची गयी एनर्जी; या,

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या ८ वर्ष १९८५ की धारा ३७ द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11 वर्ष 1985 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया।

<sup>3.</sup> उपर्युक्त की धारा 2 (ग) द्वारा निकाला गया।

<sup>4.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या 13 वर्ष 1987 की धारा 2 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>5.</sup> उपर्युक्त की धारा 2 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसटी (ड्यटी) अधिनियम, 1952}

धारा 3क-4}

- (ग) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये उस सरकार को बेची गयी एनर्जी ;
- (घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों में, जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जांय तथा सिंचाई के लिये पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना, पीसना या उपभोग के लिये अन्य किया करना (crusshing milling and treating) या चारा काटना;}1
- {(ङ) जनता सर्विस कनेक्शन योजना के अधीन किये गये सम्भरण पर रोशनी के लिये उपयुक्त एनर्जी।

स्पष्टीकरण— खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिये ''जनता सर्विस कनेक्शन योजना'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में हरिजनों, भूमिहीन श्रमिकों, कृषकों (जिनके पास एक एकड़ से अधिक भूमि न हो) सशस्त्र बल के सदस्यों (चाहे सेवारत हों या सेवानिवृत्त हो), युद्ध विधवाओं और अन्य निर्बल वर्गों को एनर्जी के सम्भरण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना से है।

## $3-\overline{\Phi}--[XXX]^2$

{4— (1) इलेक्ट्रिसटी ड्यूटी, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, राज्य सरकार को निम्नलिखित के द्वारा दी जायगी :--

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और उसके ब्याज का भुगतान

- (क) जब एनर्जी लाइसेंसी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय तो लाइसेंसी द्वारा;
- (ख) जब एनर्जी राज्य सरकार या केन्द्रीय द्वारा सम्भरित की जाय अथवा बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा; और
- (ग) जब एनर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ही विद्युत जनन स्रोत से उपभुक्त की जाय, तो ऐसी एनर्जी जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा ।
- (2) यदि उपर्युक्त के अनुसार नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, की धनराशि का भुगतान न किया जाय तो, यथास्थिति, लाइसेंसी, बोर्ड या उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, उस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, की धनराशि पर जिसका भुगतान न किया गया हो, अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, तब तक ब्याज का दानेदार होगा जब तक कि उसका भुगतान न कर दिया जाय।

4—क— किसी लाइसेंसी, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी पर धारा 3 के अधीन देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि यथास्थिति लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है।

(2) उपभोक्ता से इलेक्ट्रिसिटी डयूटी की धनराशि वसूल करने के उद्देश्य से, यथास्थिति, लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेंसी को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है मानो कि उक्त ड्यूटी ऐसे उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी के संबंध में चार्ज अथवा देय धनराशि हो। उपभोक्ता से इलेक्ट्रिसिटी डयूटी की प्रतिपूर्ति

<sup>1.</sup> उ०प्र० अधिनियम सं० २,1971 की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा निकाला गया।

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या १२ वर्ष १९८२ की धारा २ द्वारा बढ़ाया गया।

(उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यटी) अधिनियम, 1952)

**धारा 4 ख-5**}

4—ख—— (1) यदि तदर्थ नियत किसी प्राधिकारी की राय में इलेक्ट्रिसिटी डयूटी के लिए देनदार लाइसेन्सी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति डयूटी देने से छलपूर्वक बचता है अथवा बचने का प्रयास करता है, चाहे वह ऐसा मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियों को प्रस्तुत करके, सम्भिरत या उपभुक्त एनर्जी को छिपाकर अथवा किसी अन्य उपाय से करता हो तो यथास्थिति, लाइसेन्सी बोर्ड या अन्य व्यक्ति ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, उक्त डयूटी के अतिरिक्त दण्ड के रूप में ऐसी डयूटी की, जिसे छलपूर्वक बचाया गया हो अथवा जिसे बचाने का प्रयास किया गया हो, धनराशि के चार गुने से अनिधक ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो उक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाय:

कतिपय दशाओं में दण्ड, शुल्क का भुगतान किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंसी बोर्ड या ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही न की जायगी।

- (2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किये जायं, की जायगी।
- (3) अपीलीय प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, पुष्टि कर सकता है, उसको रदद कर सकता है अथवा उसमें परिष्कार कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का कार्यान्वित किया जाना पूर्णतः या अंशतः और ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, स्थिगत कर सकता है।
- 5—— (1) यदि राज्य सरकार, सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा ऐसा निर्देश करे, तो लाइसेन्सी अथवा नियुक्त प्राधिकारी (अथवा इलेक्ट्रिसिटी डयूटी के लिए देनदार अन्य व्यक्ति) दे अभिलेख ऐसी रीति तथा ऐसे आकार में रखेगा, जो नियत किये जायं और जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे ——

अभिलेख तथा नक्षे

- (क) {पारेषण या {सम्भरण} के लिए} उत्पन्न की गयी अथवा प्राप्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स);
- (ख) उपभोक्ता को दी गयी एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिटस) अथवा उसके द्वारा उपभुक्त इकाइयां;
- {(ग) प्रत्येक श्रेणी के उपभोग पर अलग—अलग देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि और धारा 4—क के अधीन वसूल की गयी धनराशि ;}⁴
- $\{(\eta-a)\}$  धारा 4 के अधीन देय ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो और धारा 4—ख के अधीन अवधारित दण्ड शुल्क की धनराशि, यदि कोई हो; $\}^5$ 
  - (घ) अन्य ऐसे ब्यौरे, जो नियत किये जायं।
- (2) {प्रत्येक व्यक्ति} जिसे उपधारा (1) के अधीन अभिलेख रखने का निर्देश किया गया हों, ऐसे नक्शे, ऐसे आकार और रीति में {ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी अविध के भीतर} प्रस्तुत करेगा जो नियत किये जायं।

<sup>1.</sup> उ०प्र० अधिनियम सं० २,१९७१ की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1971 की धारा 6 (1) (क) द्वारा अन्तर्विष्ट

<sup>3.</sup> उपर्युक्त की धारा 6 (1) (ख) द्वारा प्रतिस्थपित।

उपर्युक्त की धारा 6 (1) (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 6 (1) (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 6 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 6 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>8.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या २६ वर्ष १९९९ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

(उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यटी) अधिनियम, 1952)

धारा 6-8

- (3) उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के प्रयोजनों के लिये एनर्जी (विद्युत शक्ति) की मात्रा उस रीति से आंकी जायगी, जो नियत किये जांय।
- 6— (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा धारा 5 के अधीन रखें अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये, निरीक्षणाधिकारी (Insecting Officer) नियुक्त कर सकती है।

निरीक्षणाधिकारी

- (2) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये निरीक्षणाधिकारी ऐसे कार्य करेंगे और ऐसे अधिकारों को उपयोग में लायेंगे, जिन्हें समय—समय पर निश्चत किया जाय।
- 7—— (1) यदि धारा 3, या धारा 4, या धारा 4—ख के अधीन इलेक्ट्रिसिटी डयूटी या ब्याज अथवा दण्ड शुल्क के मद्दे देय कोई धनराशि नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को अदा न कर दी गयी हो तो वह मालगुजारी की बकाया के रूप में निम्निलिखित से वसूल की जा सकेगी:—

उपभोक्ताओं से इलेक्ट्री— सिटी डयूटी की प्रतिपूर्ति

- (क) लाइसेन्सी द्वारा संभरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में -- लाइसेन्सी से;
- (ख) बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में -- बोर्ड से ; और
- (ग) एनर्जी जनन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभुक्त एनर्जी की दशा में— उस व्यक्ति से, जो अधिनियम के अधीन उक्त ड्यूटी का देनदार हो।
- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार –
- (क) किसी लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट सकती है, जो राज्य सरकार द्वारा लाइसेन्सी या बोर्ड को देय हो; या
- (ख) किसी लाइसेन्सी द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय धनराशि की दशा में, बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट ले जो उसके द्वारा लाइसेन्सी को देय हो और इस प्रकार काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को दे दे ।

## $8 - \{(1)\}^1$ यदि कोई व्यक्ति –

दण्ड

- (क) जिसे धारा 5 के अनुसार अभिलेख रखना तथा नक्शे प्रस्तुत करना आवश्यक हो, उन्हें नियत रीति से अथवा नियत आकार में रखने में अथवा प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (ख) धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त किसी निरीक्षणाधिकारी के इस अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत अधिकार, प्रयोग तथा कर्त्तव्य पालन में जानबूझकर बाधा डालता है; अथवा
  - (ग) किसी नियम का उल्लंघन करता है,

तो वह किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिशस्त होने पर (on conviction) अर्थ दण्ड का भागी, जो दो सौ रूपये से अधिक न होगा। (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसटी (ड्यटी) अधिनियम, 1952)

{धारा 8क-9}

{(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 में उल्लिखित कोई ऐसा अभिलेख रखता है या कोई ऐसा नक्शा प्रस्तुत करता है, जिसके संबंध में उसे यह जानकारी हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी सारवान विवरण में मिथ्या है, अथवा सत्य नहीं है, तो वह अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो एक हजार रूपये से अधिक न होगा।}

[8-क— कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा, जब तक कि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो नियत किया जाय, परिवाद न किया जाय। अपराध संज्ञान

8—ख—— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी और उसके साथ—साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तद्नुसार दण्ड दिया जा सकेगा :

कम्पनियों द्वारा अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी न होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी, कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेकेंद्ररीज और ट्रेजरार्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौन अनुमति से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट, सेकेंद्ररी, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तद्नुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिये -

- (क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और
- (ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है।

8-ग-- इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।}²

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

9—  $\{XXX\}^3$ 

- 1. उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९७१ की धारा ८ द्वारा अन्तर्विष्ट ।
- 2. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा अन्तर्विष्ट।
- 3. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा निकाला गया ।

[उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसटी (ड्यटी) अधिनियम, 1952]

(धारा 10)

- {10— (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
- नियम बनाने का अधिकार
- (2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है —
  - (क) रीति, जिसके अनुसार तथा अवधि, जिसके भीतर धारा 4 के अधीन इलेक्ट्रिसिटी ड्यटी या उसके ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा,
  - (ख) प्रपत्र, जिसमें और रीति, जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख रखे जायेंगे और विवरण, जो उनमें दिये जायेंगे ;
  - (ग) प्रपत्र, जिसमें और रीति, जिसके अनुसार, अवधि जिसके भीतर और प्राधिकारी जिसे, धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नक्शे प्रस्तुत किये जायेंगे ;
  - (घ) रीति, जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिये एनर्जी की इकाइयां सुनिश्चित की जायेंगी;
  - (ङ) कर्तव्य, जिनका पालन और अधिकार, जिनका प्रयोग धारा 6 के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी करेंगे ;
  - (च) प्राधिकारी, जो धारा 4—ख की उपधारा (1) के अधीन देय शास्ति अवधारित करेगा और अवधि, जिसके भीतर इसका भूगतान किया जायगा;
  - (छ) प्राधिकारी जिसे, अवधि जिसके भीतर, और शुल्क, जिसके दिये जाने पर, धारा 4—ख की उपधारा (2) के अधीन अपील की जा सकेगी;
  - {(छछ) रीति, जिससे धारा 4—ख की उपधारा (2) के अधीन कोई अपील दाखिल की जायेगी और उसे निस्तारित करने की प्रक्रिया}<sup>2</sup>
  - (ज) अधिकारी, जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिये परिवाद कर सकते है।
  - (झ) कोई अन्य विषय, जिसे नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अविध पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अनुशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अविध के भीतर करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकृल प्रभाव न पड़ेगा।

<sup>1.</sup> उ० प्र अधिनियम संख्या २, १९७१ की धारा ११ द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या २६ वर्ष १९९९ की धारा ४ द्वारा बढाया गया।

## THE U.P. ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1952<sup>1</sup>

## [U.P. ACT NO. XXXIII OF 1952]

Amended by-----

U. P. Act no. XXVII of 1957
U. P. Act no. XII of 1959
U. P. Act no. II of 1971
U. P. Act no. X of 1972
U. P. Act no. 8, 1975<sup>3</sup>

[Passed in Hindi by the Legislative Council on October 11, 1952 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on October 16, 1952.

Received the assent Governor on December 1, 1952 under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated December 4, 1952,]

#### AN

#### **ACT**

to levy a duty on the consumption of electrical energy in Uttar Pradesh.

WHEREAS it is expedient to levy a duty on the consumption of electrical in U. P.; It is hereby enacted as follows:

Short title, extent and commencement

- (1) This Act may be called the U. P. Electricity (Duty) Act, 1952.
  - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
  - (3) It shall come into force on such date<sup>2</sup> as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

#### **Definitions**

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context --
  - (a) ["appointed authority"]<sup>4</sup> means ----
  - (i) in the case of electricity undertaking engaged in the business of supplying energy owned or managed by the State Government, such officer or authority as the State Government may appoint in this behalf; and
  - (ii) in the case of electricity undertaking engaged in the business of supplying energy owned or managed by the Central Government or a Board, such officer or authority as the State Government may, with the concurrence of the Central Government or the Board, as the case may be, appoint in this behalf.

<sup>1.</sup> For S. O. R, see Gas extra dated Sep. 1, 1952.

<sup>2.</sup> The Act came into force from Jan, 15, 1953 –vide not no. 4389EL/XXIII D-319-EL,52, dated Dec. 30, 1952, in Gas, dated Jan. 3, 1953.

<sup>3.</sup> Amendments made vide Act no, 8, 1975 came into force with effect from October 12, 1974.

<sup>4.</sup> Substituted by section 2 (i)(a) of U.P. Act No. 26 of 1999.

<sup>5.</sup> Substituted by section 2 (i)(b) ibid.

[Section 2]

Explanation-- For purposes of this clause, a department of the Government engaged in supplying energy is an electricity undertaking as aforesaid.

Act No. 54 of 1948

(b) "Board" means a board constituted under chapter III of the Electricity (Supply) Act, 1948;

Act X or 1897

- (c) "Central Government" shall have the meaning assigned to it in the General Clauses Act, 1897;
- (d) "consumer" means a person, other than a licensee, who is supplied with energy-
  - (i) by a licensee;
  - (ii) by a Board; or
  - (iii) by the State Government or Central Government;
  - (e) "energy" means electrical energy;

Act IX of 1910

- (f) "licensee means any person licensed under Part II of the Indian Electricity Act, 1910, to supply energy and includes any person who has obtained the sanction in that behalf of the State Government under section 28 of the said Act:
  - (g) "prescribed" means prescribed by rules made under this, Act;
  - (h) "rate charged" does not include-hire for meter or .service line; but includes-
  - (i) where any rebate is allowed on account of payment, being made within any specified period, the rebate so allowed;
    - (ii)  $[***]^1$
  - (iii) in the case of a two-part tariff, the fixed charged also the unit-charge;
  - (iv) in the case of the un-metered supply, the periodical charge made therefore; and
  - (v) any surcharge on the rates, whether imposed by the licensee, Board, the State Government or the Central Government.

Explanation-- In clause (iii) "Unit charge" means "the charge for the energy actually consumed";

- (i) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;
- (j) words and expressions not defined in this Act but defined in the Indian Electricity Act, 1910, have the meaning assigned to them in that Act.

Act IX of 1910

<sup>1.</sup> Omitted by section 2 of U. P. Act No. 2 of 1971.

<sup>2.</sup> Substituted by section 2(i)(b) of U.P. Act No. 26 of 1999.

<sup>3.</sup> Substituted by section 2 (ii).

<sup>4.</sup> Substituted by section 2 (iii).

[Section 3]

[Levy of electricity duty

- 3. (1) Subject to the provisions hereinafter contained, there shall be levied for and paid to the State Government on the energy --
  - (a) sold co a consumer by a licensee, the Board, the State Government or the Central Government; or
  - (b) consumed by a licensee or the Board, in or upon premises used for commercial or residential purposes, or in or upon any other premises except in the construction, maintenance or operation of his or its works; or
    - (c) consumed by any other person from his own source or generation,-
  - a duty (hereinafter referred to as electricity duty), determined at such rate or rates as may from time to time be fixed by the State Government by notification in the Gazette, and such rate may be fixed either as a specified percentage of the rate charged or as a specified sum per unit;

[Provided that such notification issued after October 1, 1984 but not later than March 31, 1985 may be made effective on or from a prior date not earlier than October 1, 1984]<sup>2</sup>

(2) In respect of clauses (a) and (b) of sub-section (1), electricity duty shall not exceed [fifty per cent]<sup>4</sup> of the rate charged:

[Provided that in the case of one-part tariff, where the rate charged is based on units of consumption, the electricity duty shall not be less than one paisa per unit or more than [nine paisa]<sup>5</sup> per unit.]<sup>1</sup>

Explanation-- For the purposes of calculation of electricity duty as aforesaid, energy consumed by a licensee or the Board or supplied free of charge or at concessional rates to his or its partners, directors, members, officers or servants, shall be deemed to be energy sold to consumers by the licensee or the Board, as the case may be at the rates applicable to other consumers of the same category.

- (3) In respect of clause (c) of sub-section (1), the electricity duty shall not be less than one paisa or more than six paisa per unit.
- (4) The State Government may, in the public interest, having regard to the prevailing charges for supply of energy in any area, the generating capacity of any plant the need to promote industrial production generally or any specified class thereof and other relevant factors, either fix different rates of electricity duty in relation to different classes of consumption of energy or allow any exemption from payment thereof.
  - (5) No electricity duty shall be levied on-
  - (a) energy consumed by the Centre Government or said to the Central Government for consumption by that Government; or

(b) 
$$[***]^3$$

- 1. Subs. by section 37 of U.P. Act No. 8 of 1975.
- 2. Added by section 2 (a) of U.P. Act No. 11 of 1985.
- 3. Omitted by section 2 (c) ibid.
- 4. Substituted by section 2 (i) of U.P. Act No. 13 of 1987.
- 5. Substituted by section 2 (ii) ibid.

- (c) energy consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Central Government or sold to that Government for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway:
- (d) by a cultivator in agricultural operations carried on in or near his fields such as the pumping of water for irrigation, crushing, milling or thrashing of the produce of those fields or chaff cutting. 1
- [(e) Energy consumed in light upon supplies made under the Janta Service Connection Scheme.

Explanation-- For the purposes of clause (e) "Janta Service Connection Scheme" means a scheme approved by the State Electricity Board for supplying Energy to Harijans, landless labourers, farmers' (holding land not exceeding one acre), members of armed forces (whether serving or retired), war widows and other weaker sections in districts notified by the State Government.]<sup>3</sup>

#### $[XXX]^2$ 3-A

4.

#### [Payment of electricity duty and interest on

- (1) The electricity duty shall be paid in such manner and within such period as may be prescribed, to the State Government-
  - (a) where the energy is supplied or consumed by a licence, by the licensee;
  - (b) where the energy is supplied by the State Government or the Central Government or is supplied or consumed by the Board, by the appointed authority; and
  - (c) where the energy is consumed by any other person from his own source of generation, ----- by the person generating such energy.
- (2) Where the amount of electricity duty is not paid to the State Government within the prescribed period as aforesaid, the licensee, the Board or other person mentioned in clause (c) of sub-section (1), as the case may be shall be liable to pay within such period as may be prescribed, interest at the rate of eighteen per cent per annum on the amount of electricity duty remaining unpaid until payment thereof is made.

## of electricity duty from consumers

Reimbursement 4-A (1) The amount of electricity duty payable under section 3 on the energy supplied to a consumer by a licencee the State Government, the Central Government, or the Board, may be re-covered by the licensee or the appointed authority, as the case may be, from the consumer.

Act IX of 1910

- (2) For the purpose of recovering the amount of electricity duty from the consumer, the licensee or the appointed authority, all the case may be, may, without prejudice to any other mode of recovery, exercise the powers conferred on the licensee under sub-section (1) of section 24 of the Indian Electricity Act, 1910, as if the duty were charge or sum due in respect of energy supplied to such consumer.
  - 1. Subs by section 3 of U.P. Act no. 2 of 1971.
  - 2. Omitted by section 4 ibid.
  - 3. Subs by section 2 of U.P. Act No. 12 of 1982.

Penal duty to be paid in certain cases 4-B (1) If in the opinion of an authority prescribed in that behalf, the licensee, the Board of other person liable to pay electricity duty evades or attempts to evade the payment of the duty, whether by maintaining false records, submitting false returns, concealing the energy supplied or consumed, or by any other means, the licensee, the Board or other person, as the case may be, shall pay by way of penalty within such time as may be prescribed, in addition to the said duty, a sum, not exceeding four times the amount of duty so evaded or attempted to be evaded, to be determined by such authority:

Provided that no action Under this sub-section shall be taken without giving a reasonable opportunity of being heard to the licensee, the Board, of such other person.

- (2) An appeal shall lie from an order passed under sub-section (1) to such authority, within such period, and on payment of such fee, its maybe prescribed.
- (3) The appellate authority may confirm, set aside or modify the order appealed from, and pending the disposal of the appeal, stay the operation of the order wholly or partially and on such terms as it thinks fit.]<sup>1</sup>

## Records and returns

- 5. (1) If the State Government so directs by a general or special order a licensee or an appointed authority [or other person liable to pay electricity duty]<sup>2</sup> shall maintain such record in such manner and form as may be prescribed showing--
  - (i) the units of energy generated, or received by it for [transmission or supply;]<sup>3</sup>
    - (ii) the units of energy supplied to the consumers or consumed by him;
  - [(iii) the amount of electricity duty payable separately on each category of consumption and the amount recovered under section 4-A.]<sup>4</sup>
  - [(iii-a) the amount of interest, if any, payable under section 4 and the amount of penal duty, if any, determined under section 4-B;]<sup>5</sup>
    - (iv) such other particulars as may be prescribed.
  - (2) [Every person]<sup>6</sup> who has been directed under sub-section (i) to maintain a record, shall submit such returns in such form and manner [to such authority and within such period]<sup>7</sup> as may be prescribed.
  - (3) The amount of energy shall for purposes of clauses (i) and (ii) of sub-section (1) be ascertained in such manner as may be prescribed.
    - 1. Subs by section of U. P. Act no. 2 of 1971.
    - 2. Ins. by s. 6 (i) (a) of U. P. Act no. 2 of 1971.
    - 3. Subs. by s. 6 (1) (b) ibid.
    - 4. Subs by section 6 (1) (c) ibdi.
    - 5. Subs by section 6 (1) (d) ibdi.
    - 6. Subs by section 6 (2) ibdi.
    - 7. Subs by section 6 (2) ibdi.
    - 8. Substituted by section 3 of U.P. Act No. 26 of 1999.

[Section 6-8]

## Inspecting officers

- 6. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, appoint inspecting officers to inspect records maintained under section 5.
  - (2) The inspecting officers shall perform such duties and exercise such powers; as may be prescribed for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act and the rules.
  - (3) Every inspecting officer appointed under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

## [Recovery of electricity duty etc.

- 7. (1) Any sum due on account of electricity duty or interest or penal duty under section 3, section 4 or section 4-B, if not paid within the prescribed period to the State Government, shall be recoverable as an arrear of land revenue --
  - (a) in the case of energy supplied to consumed by a licensee, from the licensee;
  - (b) in the case of energy supplied or consumed by the Board, from the Board; and
  - (c) in the case of energy consumed by any other person generating it, from the person liable to pay such duty under this Act.
  - (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may,
    - (a) in the case of any such sum as aforesaid being due from a licensee or the Board, deduct the sum from any amount payable by the State Government to the licensee or the Board's; or
    - (b) in the case of any such sum as aforesaid being due from a licensee, require the Board to deduct the sum from any amount payable by the Board to the licensee and to pay the sum so deducted to the State Government.]<sup>1</sup>

#### Penalties

- 8.  $[(1)]^2$  If any person-
  - (a) required by section 5 to keep record or to submit returns fails to keep or submit the same in the prescribed manner or form; or
  - (b) intentionally obstructs an inspecting officer appointed under section 6 in the exercise of his powers and duties under this Act and the rules; or
  - (c) contrivances any rule, he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding two hundred rupees.

<sup>1.</sup> Substituted by section 7 of U.P. Act No. 2 of 1971.

<sup>2.</sup> Renumbered as sub-section (1) by section 8 of U.P. Act no. 2 of 1971.

[Section 8A-10]

[(2) If any person keeps any record or submits any return specified in section 5, which he knows or has reasonable cause to believe to be false, or not true in any material particular, he shall be punishable with a fine not exceeding one thousand rupees.]<sup>1</sup>

## Cognizance of 8-A offences

No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by such officer as may be prescribed.

## Offences by companies

8-B (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person incharge of, and responsible to, the company for the conduct of its business, at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if be proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agents, Secretaries and Treasurers, Director, Manager, Secretary or other officer, such managing agents, Secretaries and Treasurers, Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-- For the purposes of this section-

- (a) "company" means any body corporate and includes in firm or other association of individuals; and
  - (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

## Protection for 8-C acts done in good faith

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against an officer or servant of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any, provision of this Act or of any rule or order made thereunder<sup>2</sup>

9. [XXX]<sup>3</sup>

- 1. Insertion by section 8 of U. P. Act No, 2 of 1971.
- 2. Insert. by section 9 ibid.
- 3. Omitted by section 10 ibid

[Section 10]

## [Power to make rules

- 10. (1) The State Government may, by notification in the Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.
  - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-
    - (a) the manner in which and the period within which the electricity duty or interest thereon shall be paid to the State Government under section 4:
    - (b) the form and manner in which records shall be maintained under sub-section (1) of section 5 and the particulars which shall be shown therein;
    - (c) the form and manner in which, the period within which and the authority to whom, returns shall be submitted under sub-section (2) of section 5;
    - (d) the manner in which the units of energy shall be ascertained for the proposes of clauses (i) and (ii) of sub-section (1) of section 5;
    - (e) the duties chat shall be performed and powers that shall be exercised by inspecting officers appointed under section 5;
    - (f) the authority which shall determine the penalty payable, and the period within which it shall be paid, under sub-section (1) of section 4- B;
    - (g) the authority to whom, the period within which and the fee on payment of which, appeal shall lie under sub-section (2) of section 4-B;
    - [(gg) the manner in which an appeal under sub-section (2) of section 4-B shall be filed and procedure for disposal thereof;]<sup>2</sup>
    - (h) the officers who may make complaint for prosecution under this Act;
      - (i) any other matter, which is to be or may be prescribed.
  - (3) All rules under this Act shall, as soon as may be, after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days in its one session, or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to anything previously done thereunder.]<sup>1</sup>

<sup>1.</sup> Substituted by section 11 of U.P. Act No. 2 of 1971.

<sup>2.</sup> Substituted by section 4 of U.P. Act No. 26 of 1999.